

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2015—श्रावण 23, शक 1937

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/4050/2015/अट्ठावन

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2015

क्रमांक बी -11-5/2015 भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13015/02/2012 - क्रेडिट - II दिनांक 20 मार्च 2015 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को लागू किये जाने हेतु जारी विस्तृत दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 13015/02/2012 - क्रेडिट-II दिनांक 20 मार्च 2015 में जारी प्रशासनिक अनुमोदन में दिए गए दिशानिर्देश के आधार पर निम्नलिखित बीमा कंपनियों के माध्यम से मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2015-16 में खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

1. एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 2. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 3. चोला मण्डल जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 4. रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 5. टाटा ए.आई.जी. जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. मध्यप्रदेश राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2015-16 खरीफ एवं रबी के लिए बीमा कंपनियों को जिलों/तहसीलों में उद्यानिकी फसलों के बीमा करने और उसके निष्पादन हेतु सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	अधिसूचित फसल	अधिसूचित तहसील	कृषक श्रेणी	बीमा कंपनी
1	मुरैना	खरीफ फसलें- टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें - टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई.सी. आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2	भिण्ड	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
3	श्योपुर कलां	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	टाटा ए.आई. जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
4	ग्वालियर	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
5	शिवपुरी	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
6	दतिया	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					

7	अशोक नगर	खरीफ फसलें-टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें - टमाटर,बैंगन,फूलगाभी,पत्ता			
		गोवी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
8	गुना	खरीफ फसलें-टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें - टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोवी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
9	नीमच	खरीफ फसलें-टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		संतरा			
		मिर्च			
		रबी फसलें - टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
10	शाजापुर	खरीफ फसलें-टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		संतरा			
		पपीता			
		मिर्च			
		रबी फसलें -टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
हरी मटर					
आम					

11	मन्दसौर	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड					
		संतरा								
		पपीता								
		मिर्च								
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज								
		आलू								
		लहसुन								
		धनियाँ								
		हरी मटर								
		आम								
12	देवास	खरीफफसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, संतरा	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड					
		मिर्च								
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज								
		आलू								
		लहसुन								
		धनियाँ								
		हरी मटर								
		आम								
		13				आगर मालवा	खरीफ — टमाटर,बैंगन, प्याज, संतरा	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
							मिर्च			
रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज										
आलू										
लहसुन										
धनियाँ										
हरी मटर										
आम										
14	रतलाम		खरीफ फसलें फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, संतरा	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक		चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड			
			पपीता							
		मिर्च								
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज								
		आलू								
		लहसुन								
		धनियाँ								
		हरी मटर								
		आम								

15	उज्जैन	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		संतरा			
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
16	झाबुआ	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
		17			
पपीता					
मिर्च					
रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज					
आलू					
लहसुन					
धनियाँ					
हरी मटर					
आम					
18	बुरहानपुर	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, केला	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	टाटा ए.जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			

19	इंदौर	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		प्याज,			
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर,			
		बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
20	खण्डवा	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		प्याज,			
		केला			
		पपीता			
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर,			
		बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
21	धार	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		प्याज,			
		केला			
		संतरा			
		पपीता			
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर,			
		बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
आलू					
लहसुन					
धनियाँ					
हरी मटर					
आम					

22	खरगौन	खरीफ फसलें-टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		केला			
		पपीता			
		मिर्च			
		रबी फसलें -टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
23	अली- राजपुर	खरीफ फसलें-टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें -टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
24	सीधी	खरीफ फसलें-टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें -टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
25	अनूपपुर	खरीफ फसलें-टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें -टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					

26	रीवा	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
27	सतना	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
28	सिंगरौली	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
29	शहडोल	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			

30	उमरिया	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
31	पन्ना	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
32	दमोह	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
33	छतरपुर	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			

34	टीकमगढ़	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियॉ			
		हरी मटर			
आम					
35	सागर	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	टाटा.ए.आई. जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियॉ			
		हरी मटर			
आम					
36	छिन्दवाड़ा	संतरा	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी एगॉ जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,			
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियॉ			
हरी मटर					
आम					
37	नरसिंहपुर	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियॉ			
		हरी मटर			
आम					

38	कटनी	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
39	सिवनी	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
40	डिंडोरी	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन,फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
41	मण्डला	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			

42	जबलपुर	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
43	बालाघाट	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
44	भोपाल	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
आम					
45	सीहोर	संतरा	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,			
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
हरी मटर					
आम					

46	विदिशा	संतरा	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,			
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
47	राजगढ़	संतरा	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,			
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
48	रायसेन	खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी,पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
		49			
खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,					
मिर्च					
रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी,प्याज					
आलू					
लहसुन					
धनियाँ					
हरी मटर					
आम					

50	बैतूल	संतरा	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		खरीफ फसलें—टमाटर,बैंगन, प्याज,			
		मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर,बैंगन,फूलगोवी,पत्ता गोवी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
51	हरदा	संतरा	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		खरीफ फसलें — टमाटर,बैंगन, प्याज,			
		मिर्च			
		रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी,प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			

3. मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल देय प्रीमियम राशि (जिसमें कृषको द्वारा देय प्रीमियम राशि भी सम्मिलित है), जोखिम अवधि, आवरीत जोखिम बीमित राशि का बीमा हेतु जिलेवार अंतिम तिथियाँ स्वेच्छिक इंडेक्स प्लस कवर ओलावृष्टि जोखिम आदि परिशिष्ट 1 (अ), परिशिष्ट 2 (अ), अनुसार है। जिले एवं तहसीलवार सन्दर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्रो का विवरण परिशिष्ट — 3 'अ' अनुसार रहेगा। जिसे विभाग की वेब साईट www.mphorticulture.gov.in पर देखा जा सकता है।

4. इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2015-16 मौसम खरीफ एवं रबी में निम्नानुसार किया जाएगा :-

4.1 यह योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के सभी किसानों को उपलब्ध होगी किन्तु योजना ऋणी किसानों के लिये अनिवार्य तथा अऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक होगी। वर्ष 2015-16 में ओलावृष्टि जोखिम इंडेक्स प्लस कवर के रूप में बीमित किये जाने वाले कृषको हेतु सम्मिलित किया गया है। जो बीमित किये गये कृषको ऋणी एवं अऋणी हेतु स्वेच्छिक होगी।

4.2 इस योजना हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार ऋणी किसान वही है,जिनके लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये संदर्भित इकाई क्षेत्र में वित्तीय संस्थान/बैंक से अनुमोदित ऋण/ साख स्वीकृत किया गया है।

- 4.3 बीमित राशि लगभग कृषि कार्य खर्च के बराबर रहेगी और एच.डी.एफ.सी.एगो जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमि., आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमि., रिलायंस जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमि., चोला मण्डलम जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमि. एवं टाटा ए.आई.जी. जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमि. द्वारा क्रियान्वयन के पूर्व परिशिष्ट-1 (अ) अनुसार घोषणा की जाएगी। व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिए रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि प्रति हेक्टेयर का गुणांक होगा। गणना निम्न सूत्रानुसार की जायेगी।

(बीमित राशि = जोत के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर) x पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर)

- 4.4 फसलवार जोत के अंतर्गत क्षेत्र की प्रति फसल के आधार पर निम्नानुसार गणना होगी :-

अ. ऋणी कृषक :- अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा उसके द्वारा पहले ही, वित्तीय संस्था में उसकी अधिकतम ऋण सीमा (मैकजीमम बारोइंग लिमिट, एमबीएल) निश्चित करने के उद्देश्य के लिए ऋण आवेदन पत्र में दिए गए आधार पर की जाती है।

ब. अऋणी कृषक :- किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा करेगा।

- 4.5 इस योजना का संचालन अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र में क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा। क्षेत्र दृष्टिकोण का आशय, संदर्भित इकाई क्षेत्र से है। संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने और दावा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र/सन्दर्भित मौसम केन्द्र को माना गया है। चयनित बीमा कंपनी द्वारा संबंधित जिले में 10 से 15 कि.मी. की त्रिज्या में स्थापित मौसम केन्द्रों की सूची परिशिष्ट - 3 'अ' में उपलब्ध है। संदर्भ मौसम केन्द्र जिले में अनुमोदित स्वचलित मौसम केन्द्र के रूप में ही मान्य होगा, तथा बेकअप मौसम केन्द्र के रूप में भारतीय मौसम विभाग का नजदीकी मौसम केन्द्र या नजदीकी स्वचलित मौसम केन्द्र को मान्य किया जायेगा।

- 4.6 प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है। किसान द्वारा शुद्ध प्रीमियम राशि व्यावसायिक फसल के लिये राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि के बराबर देय होगी। प्रीमियम राशि का 50% कृषक द्वारा तथा शेष बची हुई प्रीमियम राशि का राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा (फसलवार क्षेत्रवार व्यौरा परिशिष्ट-1 (अ) में उपलब्ध है।

- 4.7 प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित बीमा कंपनी एच.डी.एफ.सी.एगो जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमि./आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमि./रिलायंस जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमि./चोला मण्डलम जनरल

इंश्योरेन्स कंपनी लिमि./टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि. उत्तरदायी होगी। सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

4.8 बैंकों के लिये सेवा शुल्क :- नोडल बैंकों को कृषक द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि पर 4 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा।

5. दावा भुगतान प्रक्रिया :-

- 5.1 दावा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मौसम केन्द्र से कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम वर्षा, बीमारी अनुकूल मौसम एवं कीट अनुकूल मौसम के आंकड़े प्राप्त होने पर योजना के प्रावधानों के अनुसार (परिशिष्ट-1 (ब) से - 5 (ब) जिसे विभाग की वेबसाइट www.mphorticulture.gov.in पर देखा जा सकता है) कृषको को किया जायेगा।
- 5.2 परिशिष्ट 1 (ब) से परिशिष्ट 5 (ब) पर दर्शाई गई जिलेवार टर्मशीट में उल्लेखित आंकड़ों में भिन्नता पाये जाने पर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत टर्मशीट को अंतिम माना जायेगा।
- 5.3. चालू वर्ष में मौसम के आंकड़ों का स्रोत जिलेवार एवं तहसीलवार परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है। दावा प्रक्रिया स्वचलित होगी। संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों का आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा, बीमित कृषक के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुये दावा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी।
- 5.4 ओलावृष्टि आपदा की स्थिति में लिखित सूचना ई-मेल, वॉट्सएप एवं पत्र द्वारा 48 घण्टों के भीतर बीमा कंपनी को दी जायेगी तथा 72 घण्टों के भीतर बीमा कंपनी संबंधित उद्यान अधिकारी के साथ सर्वे कर क्षतिपूर्ति दावों की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।
6. अन्नदानी कृषको का भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और उप/सहायक संचालक उद्यानिकी के द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् ही संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी प्रक्षेत्र द्वारा प्रीमियम अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
7. सभी बीमा कंपनियों को बीमे की कार्यवाही बैंकों के माध्यम से करना होगा।
8. समस्त वित्त शाखाओं/बैंकों को बीमित किये गये एवं लाभान्वित कृषको की सूची दिये गये प्रारूप परिशिष्ट 4 'अ' में सॉफ्ट कापी में उपलब्ध करानी होगी। जिसे चयनित बीमा कंपनी, किसान पोर्टल, www.farmer.gov.in/insurance पर अपलोड करेगी। कृषक सूची के बिना प्राप्त घोषणा पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित बैंक/वित्त शाखाओं की होगी।
9. जिले हेतु चयनित बीमा कंपनी की टर्मशीट पर अन्नदानी कृषको का बीमा समस्त बीमा कंपनी द्वारा किया जा सकता है एवं ऋणाय कृषको का बीमा करने का अधिकार चयनित बीमा कंपनी को होगा। बीमित कृषको के दावा भुगतान का लाभ उन्हें सुनिश्चित रूप से मिले इसका उत्तरदायित्व भी बीमा कंपनियों का होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।
10. संबंधित जिले में 10 से 15 कि.मी. की त्रिज्या में स्वचलित मौसम केन्द्र NCIP गाईडलाईन में अनुमोदित किसी भी संस्था Skymet/NCMSL/WRMS etc. से स्थापित कराने की जिम्मेदारी चयनित बीमा कंपनी की होगी। समय समय पर इसका सत्यापन/जाँच भारतीय मौसम केन्द्र एवं अन्य पंजीकृत संस्था द्वारा कराया जावेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीमा कंपनी एवं मौसम आंकड़ों उपलब्ध कराने वाली संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।
11. बीमा कंपनियों को फसल बीमा की जानकारी के संबंध में सूचना/रसीद कृषकों को उपलब्ध करानी होगी।
12. सभी बीमा कंपनियों जो इस योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रही हैं, संबंधित जिले में विकासखण्ड स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला कलेक्टर, जिला उद्यानिकी अधिकारी के प्रतिनिधि एवं कृषको के साथ बैठक कर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार बीमा कंपनियों द्वारा किया जायें तथा ग्राम पंचायतों में पोस्टर एवं बेनर लगाये जाए। क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार बीमा कंपनी द्वारा किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट-1 (अ)

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आवाहिक फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16 ऋणी कृषको हेतु अनिवार्य एवं अऋणी कृषको हेतु सौचिक जॉइम फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दर, शासकीय अनुदान और कृषक द्वारा देय प्रीमियम

क्र. सं.	अभिज्ञित जिले	अभिज्ञित फसल	जॉइम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टेयर रु	प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर रु	राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टेयर रु	केंद्र सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टेयर रु	किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर रु	बीमा करने की अंतिम दिनांक		बीमा काल में घोषणा पत्र प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक		बीमा अभिकर्ता
									ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	
1	म.प्र. के समस्त 51 जिले	खरीफ फसल - मिर्च	16 जुलाई 2015 से 31 जनवरी 2016	50000	6000	1500	1500	3000	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	अऋणी कृषक 2 अगस्त 2015
2	छिंदवाड़ा, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, मन्सौर, देवास, भुवनेश्वर, धार, होशंगाबाद, हरदा, सिहोर, विदिशा, रायसेन, नीमच एवं आगर-मालवा	खरीफ फसल - सरस	16 जुलाई 2015 से 15 अक्टूबर 2016	60000	7200	1800	1800	3600	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	2 अगस्त 2015
3	बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, धार, बुधगापुर	खरीफ फसल - केला	1 दिसंबर 2015 से 31 अक्टूबर 2016	110000	13200	3300	3300	6600	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	2 अगस्त 2015
4	बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, धार, मन्सौर, रतलाम एवं शाजापुर	खरीफ फसल - पपीता	1 सितंबर 2015 से 30 जून 2016	75000	9000	2250	2250	4500	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	2 अगस्त 2015
5	म.प्र. के समस्त 51 जिले	खरीफ फसल - टमाटर, बैंगन, एवं पाल	16 जुलाई 2015 से 15 नवंबर 2015	60000	7200	1800	1800	3600	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	2 अगस्त 2015
6	म.प्र. के समस्त 51 जिले	रबी फसल - टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं पाल	01 नवंबर 2015 से 31 मार्च 2016	60000	7200	1800	1800	3600	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	2 जनवरी 2016
7	म.प्र. के समस्त 51 जिले	रबी फसल - लहसुन	1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016	60000	7200	1800	1800	3600	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	2 जनवरी 2016
8	म.प्र. के समस्त 51 जिले	रबी फसल - धनिया	15 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016	25000	3000	750	750	1500	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	2 जनवरी 2016
9	म.प्र. के समस्त 51 जिले	रबी फसल - आंवू	01 अक्टूबर 2015 से 15 अप्रैल 2016	60000	7200	1800	1800	3600	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	2 जनवरी 2016
10	म.प्र. के समस्त 51 जिले	रबी फसल - अमू	01 अक्टूबर 2015 से 15 अप्रैल 2016	100000	12000	3000	3000	6000	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	2 जनवरी 2016
11	म.प्र. के समस्त 51 जिले	रबी फसल - हरी मटर	15 सितंबर 2015 से 31 मार्च 2016	25000	3000	750	750	1500	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	2 जनवरी 2016
12	म.प्र. के समस्त 51 जिले	रबी फसल - आम	15 दिसंबर 2015 से 30 जून 2016	50000	6000	1500	1500	3000	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	2 जनवरी 2016

परिशिष्ट-2 (अ)

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16
 ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु स्वीच्छक ओलावृष्टि जोखिम इंडेक्स लस कवर फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, शासकीय अनुदान और कृषक द्वारा देय प्रीमियम

क्र.सं.	अधिभूखित जिलें	फसल	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर रु	प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर रु	राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर रु	केंद्र सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर रु	किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर रु	बीमा करने की अंतिम तिनांक		बीमा कंपनी में घोषणा पत्र प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम तिनांक		बीमा अतिकर्ता	
									ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक		
1	म.प्र. के समस्त 51 जिलें	खरीफ फसल - मिर्च	1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2016	15000	1800	450	450	900	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	अऋणी कृषक	2 अगस्त 2015
2	छिंदवाड़ा, राजापूर, सतलाम, उज्जैन, मंडलौर, देवास, रतुल, धार, होशंगाबाद, हयवा, सिहोर, विदिशा, राजगढ़, नीमच एवं आगर-मालवा	खरीफ फसल - सतरा	1 जनवरी 2016 से 15 अगस्त 2016	18000	2160	540	540	1080	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	अऋणी कृषक	2 अगस्त 2015
3	इंदौर, खरानो, खण्डवा, धार, बुरहानपुर	खरीफ फसल - केला	1 जनवरी 2016 से 30 अगस्त 2016	33000	3960	990	990	1980	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	अऋणी कृषक	2 अगस्त 2015
4	इंदौर, खरानो, खण्डवा, धार, मंडलौर, सतलाम एवं राजापूर	खरीफ फसल - पपीला	1 जनवरी 2016 से 30 अगस्त 2016	22500	2700	675	675	1350	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	15 अगस्त 2015	15 अगस्त 2015	अऋणी कृषक	2 अगस्त 2015
5	म.प्र. के समस्त 51 जिलें	रबी फसल - टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं पावल	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	18000	2160	540	540	1080	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	अऋणी कृषक	2 जनवरी 2016
6	म.प्र. के समस्त 51 जिलें	रबी फसल - लहसुन	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	18000	2160	540	540	1080	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	अऋणी कृषक	2 जनवरी 2016
7	म.प्र. के समस्त 51 जिलें	रबी फसल - पत्तिया	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	7500	900	225	225	450	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	अऋणी कृषक	2 जनवरी 2016
8	म.प्र. के समस्त 51 जिलें	रबी फसल - आलू	1 जनवरी 2016 से 15 अगस्त 2016	18000	2160	540	540	1080	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	अऋणी कृषक	2 जनवरी 2016
9	म.प्र. के समस्त 51 जिलें	रबी फसल - हरी मटर	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	30000	3600	900	900	1800	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	अऋणी कृषक	2 जनवरी 2016
10	म.प्र. के समस्त 51 जिलें	रबी फसल - आम	1 जनवरी 2016 से 30 अगस्त 2016	15000	1800	450	450	900	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015	15 जनवरी 2016	15 जनवरी 2016	अऋणी कृषक	2 जनवरी 2016

परिशिष्ट-4 (अ)

मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16 योजना अंतर्गत उद्योगिकी फसलों हेतु बीमित किये गये ऋणी कृषकों की सूची का प्रारूप

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखा	खाता नं.	कृषक का नाम	पिता का नाम	वर्ग (महिला/पुरुष)	जति वर्ग (सामान्य/पिछडा वर्ग/अनु. जति/अनु. जनजाति)	पता	तहसील	जिला	दुग्धाप/मेवाड़ल	फसल	संरक्षित मौसम केन्द्र	बीमित क्षेत्र	बीमित राशि	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	अलावट्टि (ऋणी कृषकों हेतु स्वीकृत जोखिम)			कुल प्रीमियम (17 + 19)	
																	बीमित क्षेत्र	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	खसरा नं.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22